सख्या:-139/2021/385आ0/23-5-21-50(83)ईजी/2014टीसी

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 23 दिसम्बर, 2021**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-55, पूंजीलेखा के अन्तर्गत जनपद कन्नौज व बहराईच के 02 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-604बीजीबी/109बीजीबी/अना0भवनों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण का कार्य/पूँजी/21-22, दिनांक 30.11.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित तालिका में उल्लिखित कार्य हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष **रू0 22.39 लाख (रू0 बाईस लाख उन्तालिस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत धनराशि	आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
			(धनराशि लाख रू0 में)			
1	21/2020/24आ0/23-5-20-50(83)ईजी/2014टीसी, दिनांक 17.03.2020 एवं 58/2020/214आ0/23-5-20-50(83) ईजी/2014टीसी दिनांक 23.09.2020 एवं 70/2021/164आ0/23-5-21-50(14) ईजी/2016, दिनांक 22.07.2021	कन्नौज में केन्द्रीय खण्डीय भण्डार गृह का निर्माण कार्य।	45.00	25.00	20.00	05.00
2	49/2021/91आ0/23-5-21-06 (भवन)/2021, दिनांक 23.03.2021	बहराइच में एल0आर0पी0 रेस्ट हाउस कैम्पस में मीटिंग हाल का निर्माण कार्य।	63.66	20.77	42.89	17.39
	योग :-		**108.66**	**45.77**	**62.89**	**22.39**

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-55 के अन्तर्गत पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-04-अनावासीय भवनों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्य-00-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्यों हेतु स्तम्भ-2 में वर्णित शासनादेशों की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

..../02..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- उक्त स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी की जा रही है।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
उप सचिव।

संख्या:-139/2021/385आ0(1)/23-5-2021तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी कन्नौज व बहराईच।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता, कानपुर क्षेत्र एवं देवीपाटन(गोण्डा) क्षेत्र, लो0नि0वि0।
10- अधीक्षण अभियन्ता, कन्नौज-फर्रूखाबाद वृत्त एवं बहराईच-श्रावस्ती वृत्त, लो0नि0वि0।
11- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कन्नौज।
12- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बहराईच।
13- वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।